<u>वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2018-19</u>

<u>संख्या-44/2018/523/पन्द्रह-1-2018-जी0(14)/2017</u>

प्रेषक,

संतोष कुमार रावत,
उप सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक(मा0),
उ0प्र0 लखनऊ।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 18 दिसम्बर 2018

विषय- जनपद गोरखपुर के ग्राम पंचायत गोपालगंज उर्फ हरनामपुर, विकास खण्ड-कैम्पियरगंज में मा0 मुख्य मंत्री जी घोषणान्तर्गत राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2018-19)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-नियोजन/9566/2018-19 दिनांक 20-11-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद गोरखपुर के ग्राम पंचायत गोपालगंज उर्फ हरनामपुर, विकास खण्ड-कैम्पियरगंज में मा0 मुख्य मंत्री जी घोषणान्तर्गत राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नामित राजकीय कार्यदायी संस्था कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेस उ0प्र0 जल निगम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन रू0 460.26 लाख के सापेक्ष कुल स्वीकृत धनराशि रू0 310.23 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 में विद्यालय के भवन निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-23/2017/1976/पन्द्रह-10-2017-जी0(14)/2017 दिनांक 14.10.2018 एवं शासनादेश संख्या-24/2018/523/पन्द्रह-10-2018-जी0(14)/2017 दिनांक 23.03.2018 द्वारा क्रमश: प्रथम एवं द्वतीय किश्त के रूप में निर्गत धनराशि रू0 50.23 लाख एवं रू0 100.00 लाख को घटाते हुए अवशेष धनराशि रू0 160.00 लाख के सापेक्ष तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 100.00 लाख (रूपया एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) निर्माण कार्य अनुमोदित मितव्ययी आगणन पर नामित कार्यदायी संस्था कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेस उ0प्र0 जल निगम द्वारा किया जायेगा। सक्षम स्तर से लिखित आदेशों के बिना परियोजना के मानक/डिजाइन/विशिष्टियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां मानक व सम्पादित कार्यों की गुणवत्ता का परीक्षण सुनिश्चित किये जाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर की होगी तथा वे यह सुनिश्चित करेगें कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा यथासमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिक्ता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

www.shasanadesh.up.nic.in

(5) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्यसरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित है।

(6) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण किया जाय।

(7) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।

2- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-72 के लेखा शीर्ष-"4202-शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-202-माध्यमिक शिक्षा-04-रा0उ0मा0 विद्यालयों की स्थापना-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं। उक्त कार्यालय ज्ञाप की शर्तों/प्रतिबन्धों का अक्षरश: अनुपालन किया जायेगा।

भवदीय,

(संतोष कुमार रावत)
उप सचिव।

<u>संख्या-44/2018/1789(1)/पन्द्रह-1-2018, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी गोरखपुर ।
5. प्रबन्ध निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेस उ0प्र0 जल निगम ।
6. परियोजना प्रबन्धक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेस उ0प्र0 जल निगम, गोरखपुर।
7. वित्त नियंत्रक, शिक्षा निदेशालय(मा0), उ0प्र0, इलाहाबाद।
8. उप शिक्षा निदेशक(शिविर) कार्यालय, शिक्षा निदेशालय, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
10. ग्रिड रिपोर्ट हेतु श्री शत्रुन्जय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिक्ता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

www.shasanadesh.up.nic.in